

27 <sup>12</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली चेअर डुई। वकील पक्षकारान  
अनुमानित है वादी का वाद अदम हाजरी  
अदम परकी से ज्वारिज किमा जा चुका  
है इसलिए T.I प्रार्थना-पत्र का कोई  
कोचिल नहीं देहा जाता है। इसलिए T.I  
प्रार्थना-पत्र ज्वारिज किमा जाता है।  
पत्रावली दर्ज नमबर से कर हो। कोदम  
शुले नमामालप से सुनाया जाय।

Rw